झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा **त्रयोदश(मॉनसून)सत्र**

संख्या-03 **बुधवार, दिनांक-18 जुलाई, 2018 ई०।**

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.01 बजे अप० तक ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा स्वामी अग्निवेश के साथ पाकुड़ में हुए दुर्व्यवहार को लेकर दोषियों की गिरफ्तारी हेतु माँग की जाने लगी और इस क्रम में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा झारखण्ड विकास मोर्चा के कतिपय माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गये परन्तु, आसन के आग्रह पर वे अपने-अपने स्थान पर बैठ गये।

उक्त आलोक में आसन द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री से वस्तुस्थिति सदन में रखे जाने हेतु निदेश दिया गया तदुपरांत माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उक्त घटना की जानकारी ज्योंहि माननीय मुख्यमंत्री को प्राप्त हुई, उन्होंने तुरत वहाँ के आयुक्त तथा डी.आई.जी. को जाँच का जिम्मा सौप दिया। अब जाँचोपरांत दोषियों पर कार्रवाई होगी।

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि स्वामी अग्निवेश के साथ हुए दुर्व्यवहार विषय पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। अब चूँकि इस सम्बन्ध में कृत कार्रवाई की जानकारी सरकार की ओर से सदन को दे दी गयी है, अतएव उक्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है।

(शोरगुल)

विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा उक्त घटना को लेकर शोरगुल किये जाने पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा गया कि अभी हाल के दिनों में खूँटी में पाँच बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में विपक्ष चुप क्यों है? इस क्रम में भारी शोरगुल एवं अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.16 बजे पूर्वा० से लेकर 12.45 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही पूर्व की भाँति विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर स्लोगनयुक्त पोस्टर के साथ स्वामी अग्निवेश के मामले पर नारेबाजी करने लगे जिसका विरोध सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा किया गया।

2. आसन से सूचना:-

गत दो दिनों से विभिन्न मुद्दों के कारण सदन की कार्यवाही अवरूद्ध रहने को लेकर आसन द्वारा गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के तहत इसका संचालन होने की अपेक्षा की गयी। उन्होने सभा में उत्पन्न स्थिति को लोकतंत्र के अनुचित बताया· तत्पश्चात् माननीय संसदीय कार्य मंत्री सहित सभी विधायक दल के माननीय नेताओं से अनुरोध किया, गया कि वे 1.00 बजे अप० में उनके कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने की कृपा करें ताकि सभा के व्यवस्थापूर्वक संचालन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सके।

(भारी शोरगुल)

3. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948 के अधिनियम-14) की धारा-45 के अनुसरण में **दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17 तथा वार्षिक बजट वर्ष-2017-18** की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

4. वित्तीय कार्य:-

पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित माँग संख्या-07 **''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)''** सभा में प्रस्तुत किया गया जिसपर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव को अपना कटौती का प्रसताव प्रस्तुत किये जाने हेतु आसन द्वारा पुकारा गया, लेकिन उन्होंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

इस अवसर पर पुन: सदन में भारी शोरगुल होने लगा जिससे सदन में अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया जिसे देखते हुए सदन की **कार्यवाही 12.54 बजे अप० से लेकर भोजनावकाश** तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

इस अवसर पर विपक्ष के अधिकांशत: माननीय सदस्य पूर्व की भाँति नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गये। आसन द्वारा बार-बार उन्हें अपने-अपने स्थान पर बैठने हेतु आग्रह किया गया, लेकिन स्थिति यथावत् बनी रही।

अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की **कार्यवाही 02.15 बजे अप० से 02.45 बजे अप०** तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही पूर्ववत् अपनी विभिन्न माँगों को लेकर विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये। माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया गया कि राज्य की एक महिला अधिकारी गायब है। माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही ने माननीय सदस्य, श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता को अस्पताल से वापस लाये जाने हेतु आग्रह किया।

5. वित्तीय कार्य(क्रमांक-4 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी के लिए रखे गये अनुदान की माँगों के विरूद्ध कटौती प्रस्ताव की कोई भी सूचना सभा में प्रस्तावित नहीं हुई, अतएव आसन द्वारा मूल

प्रस्ताव को ही लिया गया तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित माँग संख्या-07 **''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)''**, पर सभा की सहमति हुई तदुपरांत बारी-बारी से गिलोटिन(मुखबन्द) द्वारा अनुदान की माँगें स्वीकृत हुई।

6.विधायी कार्य:-

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2018

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 एवं 03, खण्ड-1, अनुसूची, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

इस अवसर पर विपक्ष के अधिकांशत: माननीय सदस्य अपनी पूर्ववर्त्ती माँगों को लेकर शनै:-शनै: सदन की वेल में आकर धरने पर बैठ गये। अतएव अव्यवस्था के महौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही **3.01 बजे अप० से लेकर गुरुवार, दिनांक-19.07.2018 के 11.00 बजे पूर्वा०** तक स्थगित कर दी गयी।

राँची,
दिनांक- 18, जुलाई, 2018 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।